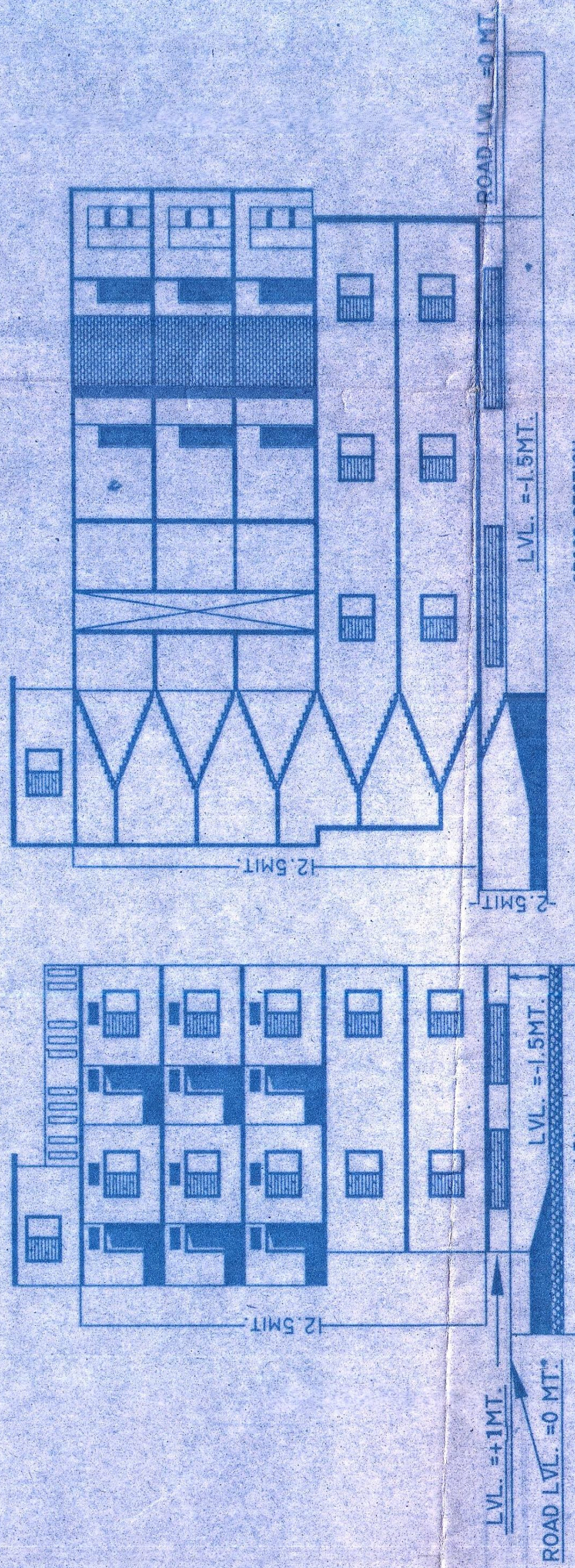
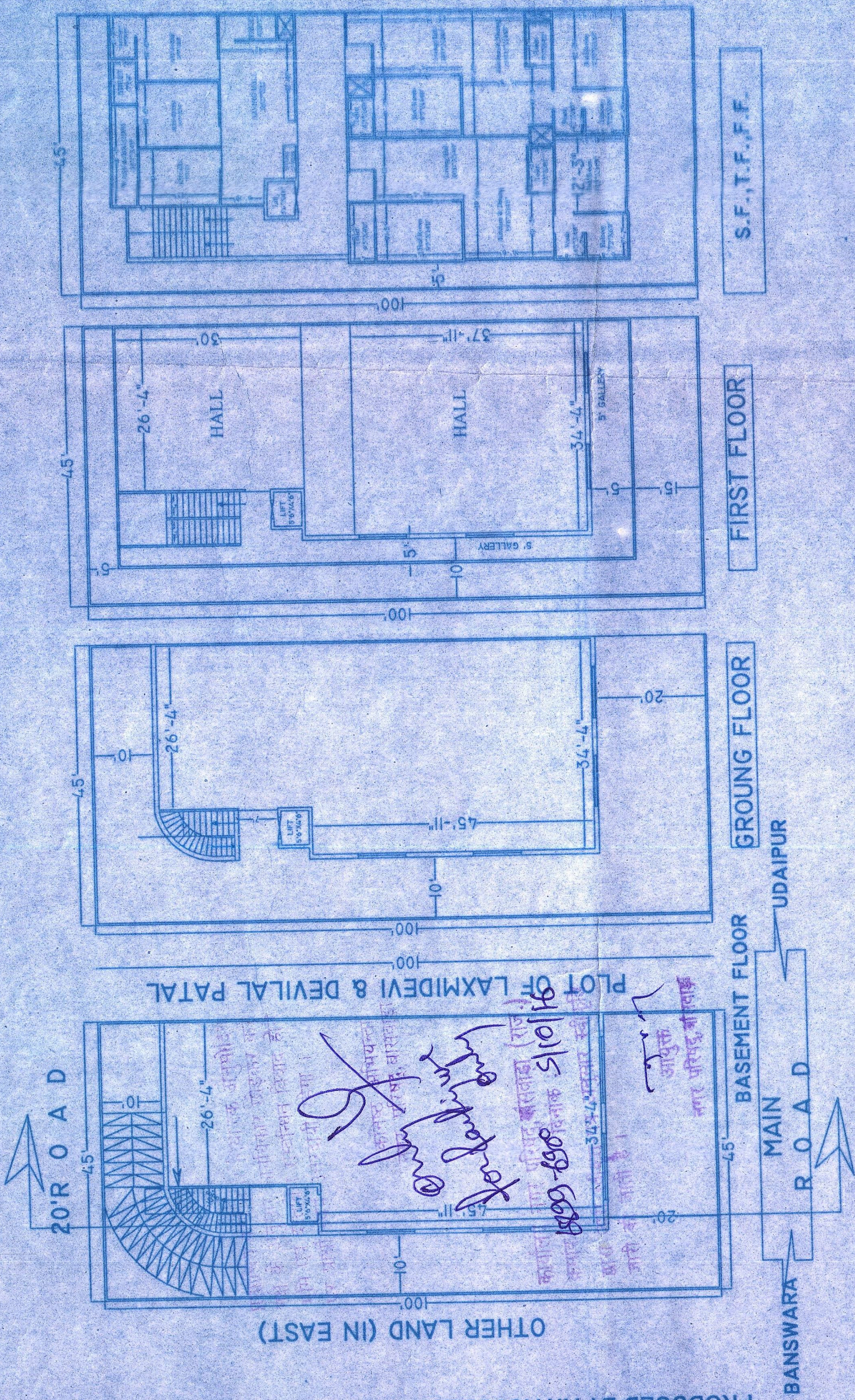




PLOT AREA	4500sqft.
BASMENT AREA	2450.00sqft.
G.F. AREA	3200.00sqft.
F.F. AREA	3200.00sqft.
S.F. AREA	3200.00sqft.
T.F. AREA	3200.00sqft.
F.F. AREA	3200.00sqft.



ER. KALPESH SHAH
E.E. [STR. CIVIL, F.I.V.
CHARTED, ER. & APPROVED VALUER
E-mail :- shahkm871@yahoo.co.in
BANSWARA-327001, M. 09414101298

PROPOSED RESIDENTIAL PLAN OF MRS. GIRIJA
PATAL W/O MR. DEVILAL PATAL & MR. RISHI PATAL
S/O MR. DEVILAL PATAL, AT, VAKE MOJA
SHYAMPURA THL. BANSWARA, (RAJ.)

कार्यालय नगर परिषद्, बाँसवाड़ा (राज.)

क्रमांक : 6899-6900

दिनांक : 5/10/16

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के अन्तर्गत

श्री ऋषि पटेल पिता देवीलाल पटेल एवं
श्रीमती गिरजा पटेल पिता श्री देवीलाल पटेल
निवासी रातीतलाई, बाँसवाड़ा

विषय :- व्यवसायिक भवन निर्माण स्वीकृति पत्र बमोहल्ला श्यामपुरा, बाँसवाड़ा, आराजी सर्वे नं. 44/2

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र अनुसार स्वयं की मिलकीयत का व्यवसायिक भूखण्ड होने की स्थिति में तकनीकी शाखा की रिपोर्ट अनुसार निर्धारित मार्गाधिकारी कायम रखते हुए नियमानुसार सेट बेक छोड़ते निमानुसार शर्तों पर स्वीकृति जारी की जाती है। प्रोजेक्शन हेतु निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है -

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	निर्धारित दर	कुल देय राशि
1.	शटर - 2 नंग	प्रति नंग	500.00	1000.00
2.	नालदा - 25 नंग	प्रति नंग	100.00	2500.00
3.	प्लान अनुमोदन, उप विमाजन, स्टील पार्किंग 45x100 - 500.00 वर्गगज ग्राउण्ड प्लोर + प्रथम से चतुर्थ फ्लोर -- 311.11 x 5	प्रति वर्गगज	20.00 10.00	10000.00 15556.00
4.	मटेरियल चार्ज --	प्रति भवन	10000.00	10000.00
5.	विज्ञापन	प्रति वर्गगज	1000.00	1000.00
6.	वाटर हार्वस्टिंग		35000.00	35000.00
7-	श्रमिक उपकर - 19200x1000x1%			1,92,000.00
8-	नगरीय विकास कर 2016-17			14285.00
	कुल योग -			2,81,341.00

उक्तानुसार प्रोजेक्शन की राशि जरिये रसीद सं 13/95 दिनांक 04/10/2016 परिषद् में जमा हो चुकी है।

शर्त :-

- भूमि एवं भवन सम्बन्धि विवाद होने पर प्राथी स्वयं उत्तरदायी रहेगा।
- निर्माण कार्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित भवन विनियम अधिनियम, 2010 के अनुसार नियमानुसार करना होगा। आगे 20 फीट पीछे 10 फीट तथा ~~मसिदा~~ की ओर 10 फीट सेट बेक छोड़कर निर्माण करवाया जावे।
- राज्य सरकार/नगर परिषद् बाँसवाड़ा द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना करनी होगी।
- बेसमेन्ट का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावे।
- सड़क पर डी.पी. जनरेटर नहीं लगावें।
- भवन की सुरक्षा का सम्पूर्ण दायित्व प्राथी स्वयं का होगा।
- गंदे पानी की निकासी हेतु निकटतम नाले तक नाला स्वयं के खर्च पर बनाना होगा।
- मौके पर निर्माण कार्य के दौरान विवाद होने की स्थिति में स्वयं उत्तरदायी रहेंगे।

- भवन निर्माण ~~42~~ मीटर ऊंचाई तक ही करना होगा।
- सम्पूर्ण भवन में प्राकृतिक आपदों से निपटने हेतु सुविधा स्वयं को करनी होगी।
- भवन अग्निशमन का संयंत्र लगावाकर सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
- वाटर हार्वस्टिंग संरचना स्वयं को करनी होगी।
- रिटेल्ड प्लोर का उपयोग पार्किंग हेतु किया जावे अन्य कार्य हेतु नहीं किया जावे।
- भूखण्ड के ऊपर से जा रही ही विद्युत लाईन स्वयं के खर्च शिफ्टकरवाया जाकर निर्माण कार्य करवाया जावे।

क्रमांक :

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. सम्बन्धित हल्का निरीक्षक, नगर परिषद् बाँसवाड़ा।

दिनांक :

आयुक्त

नगर परिषद्, बाँसवाड़ा

281341/

नगर परिषद्, बाँसवाड़ा (राज.)

ख्या

13

क्रमांक

95

गिरजापट्टेण देवीलापट्टेण एवं रिषी पट्टेण देवीलापट्टे

शब्दों में ट्रांजार्ख डेव्यानी हजार तीन सौ अक्षतालीस

से भवन निर्माण करा 39056/-

विसापन के

के लिए निम्न

नगरीय विभाग द्वारा

1000/-

के भुगतान स्वरूप पूर्णतः / अंशत प्राप्त किये 14285/-

तो योग 281341/

192000/-

प्रसंग नाम व संग्रहण पंजिका का क्रमांक 35000

281341/

विपत्र संख्या

दिनांक

204/10/2016

हस्ताक्षर आशुक्त